530

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

आयुक्त/अध्यक्ष महोदय,

टिप्पणी एवं आदेश

दिनांक ३१-५-९५ को आपकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त सम्मुख आपके अनुमोदनार्थ/ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

1/6

(531)

-1-

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक ३१-५-९५ में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थित :

१-श्री बी0एम0वोहरा,आयुक्त,गढवाल मण्डल	अध्यक्ष
२-श्री के0एल0शर्मा,उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून	उपाध्यक्ष
३-श्री एन0सी0गर्ग,अधीक्षण अभियंता,लो0नि0वि0	सदस्य
४-श्री जितेन्द्र सिंह,अपर जिलाधिकारी,(प्र0)/प्र0अधिकारी नगर परिषद,देहरादून।	प्रतिनिधि सदस्य
५-श्री बृज बी0 रतन,सहयुक्त नियोजक	प्रतिनिधि सदस्य
६-श्री ए0के0द्विवेदी,सहायक निदेशक पर्यटन	प्रतिनिधि सदस्य

अन्य उपस्थित:

१-श्री श्रवण कुमार निगम, सचिव,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
२-श्री रतन सिंह, अधिशासी अभियंता,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

गत बैठक की कार्यवाही :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा गत बैठक की अनुपालन आख्या पढी गयी और निम्नाँकित संशोधन के साथ बैठक दिनांक ६-३-९५ की कार्यवाही की पुष्टि की गयी :-

गत बैठक दिनांक ६-३-९५ के विषय क्रमांक- १ जो अनिधकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधों के शमन हेतु संशोधित शमन उपविधि १९९४ के प्रारुप को अनुमोदित करने के सम्बन्ध में था, के बारे में आवासीय भवनों के शमन पर कतिपय शिथिलता प्रस्तावों-पर स्थानीय परिवेश में आवश्यक संशोधनों पर विचार करने हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श हुआ और सर्व-सम्मत्ति से समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। तदनुसार निर्देश हुए कि संशोधित शमन उपविधि १९९४ के प्रारुप को शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाये।

गत बैठक दिनांक ६-३-९५ के विषय क्रमांक-८ जो मै० उत्तराखण्ड बुलियन यार्न प्रा०लि० के ग्राम सुद्धोवाला चकराता रोड देहरादून के खसरा नम्बर-४८, ४९ तथा ५१ को स्पोट जोन किये जाने के सम्बन्ध में बैठक में लिये गये निर्णय को इस सीमा तक संशोधित करने के निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत स्थल के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही शासनादेशों के अनुरुप प्रस्तावित की जाये ।

विषय क्रमांक: १

<u>१२ प्रीतम रोड की सम्पत्ति को आपसी वार्ता के आधार पर क्रय करने एवं इस भूमि के सम्बन्ध में वर्ष १९८६ से गतिमान भू-अर्जन की कार्यवाही को स्थगित करने तथा वापस लेने के सम्बन्ध में ।</u>

प्रस्ताव पर बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। चूंकि इस सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में जिला जज देहरादून ने सम्पत्ति के स्वामित्व की घोषणा श्री आर०के०अग्रवाल आदि के पक्ष में कर दी है और अब सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। अतएव सर्व-सम्मत्ति से यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या-यू०ओ०-१८५ दिनांक १६-८-९३ के अनुसार गठित क्रय मूल्य निर्धारण समिति की संस्तुति दिनांक १२-५-९५ में निर्धारित मूल्य पर इस सम्पत्ति को आपसी वार्ता से क्रय कर लिया जाये। इस कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में वर्ष १९८६ से गतिमान भू-अर्जन की कार्यवांही को शासन से स्थगित करवाने एवं धारा-४ तथा ६ की विज्ञप्तियों को निरस्त करवाने हेतु जिलाधिकारी देहरादून से अनुरोध किया जाये ।

विषय क्रमांक : २

<u>सचिव, शालिनी मैमोरियल स्कूल ग्राम आमवाला तरला खसरा नम्बर-५ एवं ३५ पर प्रस्तावित स्कूल के सम्बन्ध में</u>

बैठक में उक्त विषय पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों पर विचार विमर्श के उपरान्त शासनादेशों के अनुरुप प्रश्नगत भवन मानचित्र के निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को सर्व-सम्मत्ति से अधिकृत किया गया ।

विषय क्रमांक: ३

<u>ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था</u>

बैठक में उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। सहयुक्त नियोजक द्वारा सुझाव दिया गया कि वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में ग्राम मेहूवाला माफी में जिस भूमि का प्रस्ताव रखा गया है, उसका देहरादून महायोजना में

भूउपयोग आवासीय है। अतएव भूमि क्रय की कार्यवाही के साथ-साथ भूमि का भूउपयोग परिवर्तन करना आवश्यक होगा। अतः सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भूउपयोग परिवर्तन हेतु शासनादेशों के अनुरुप कार्यवाही की जाये और इसी बीच प्रस्तावित भूमि.को क्रय मूल्य निर्धारण समिति की संस्तुति दिनांक ६-५-६५ में निर्धारित मूल्य के आधार पर भूमि क्रय करने एवं हडको से अनुमन्य ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही भी आरम्भ की जाये। इस प्रयोजन हेतु सर्व-सम्मत्ति से उपाध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि ट्रान्सपोर्ट नगर निर्माण हेतु पूर्व में ग्राम सेवलाखुर्द तथा माजरा में वर्ष १९८६ से आरम्भ की गयी भू-अर्जन की कार्यवाही में प्रतिकर विवाद उत्पन्न होने एवं कुछ भूमि के प्रति भू-स्वामियों द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अब तक पूरी भूमि उपलब्ध न करवाने के कारण भू अर्जन के इस प्रस्ताव को स्थगित करवाने एवं धारा-४ तथा ६ की विज्ञप्तियां शासन से निरस्त करवाने हेतु जिलाधिकारी, देहरादून से अनुरोध किया जाये ।

—

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:

अन्य विषय क्रमांक: १

<u>प्राधिकरण की किशनपुर आवासीय योजना के सम्बन्ध में</u>

प्रस्ताव पर बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ । आम सहमति यह थी कि प्रश्नगत भूमि फलड एरिया से प्रभावित है अतः इस भूमि पर किसी भी प्रकार की योजना आरम्भ करने से पूर्व योजना से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विस्तृत रुप से परीक्षण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल पर आवासीय योजना आरम्भ करने से पूर्व योजना की वायवलिटी आदि के सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण कराते हुए एक ठोस प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अन्य विषय क्रमांक:२

<u>सहायक लेखाकार, जुनियर प्रोग्रामर, फोटोस्टेट आपरेटर के एक-एक पद के सृजन के सम्बन्ध में ।</u>

उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरंण द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्राधिकरण के लेखा अनुभाग हेतु वर्ष १९८८ में एक लेखाकार, दो लेखा लिपिक, दो कैशियर के पद सृजित किए गए थे परन्तु तबसे अब तक प्राधिकरण के कार्यो में उत्तरोत्तर बृद्धि हुई है लेकिन शासन से कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं हो पाया है फलस्वरुप प्राधिकरण के कार्यो के सम्पादन में कठिनाई महसूस हो रही है। प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति एवं कार्य विस्तार को देखते हुए प्रस्ताव में वर्णित पदों का सृजन आवश्यक है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि प्राधिकरण में हडको की वित्तीय सहायता से कम्प्यूटरीकरण का कार्य कराया गया है और वर्तमान समय में इस कम्प्यूटरीकरण का कार्य मात्र एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा आरम्भिक स्तर पर कुशलता के साथ सम्पादित कराया जा रहा है। इस कार्य में और अधिक दक्षता लाने हेतु प्राधिकरण के कम्प्यूटर केन्द्र के संचालन हेतु एक नियमित कर्मचारी का होना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रस्ताव में वर्णित जुनियर प्रोग्रामर के पद का सृजन किया जाना प्राधिकरण हित में होगा ।

उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त आम सहमति यह व्यक्त की गयी कि प्राधिकरण कार्यालय के प्रतिदिन बढ रहे कार्य विस्तारण को देखते हुए उपरोक्त पदों के सृजन हेतु शासन से अनुरोध किया जाये ।

537

\- A

अन्य विषय क्रमांक:३

<u>राजपुर से मसूरी तक एवं मसूरी झील पार्किंग से नीचे झील तक रोप-वे का निर्माण</u>

प्राधिकरण को एक नियमित आय का श्रोत्र उपलब्ध कराने , पर्यटन को बढावा देने तथा मसूरी रोड पर ट्रैफिक दबाव को कम करने के उद्धेश्य से प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक ६-३-९५ में लिए गए निर्णय के क्रम में उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि राजपुर से मसूरी तक केबिल कार योजना स्थापित करने सम्बन्धी प्राधिकरण की प्रस्तावित योजना को देखते हुए लोगों द्वारा मसूरी झील पर भी नीचे झील से झील पार्किंग स्थल (मसूरी रोड तक) भी केबिल कार स्थापित करने के कई सुझाव दिये गये हैं। उपाध्यक्ष ने यह भी अवगत कराया कि प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक ६-३-९५ में उक्त विषय के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के अनुरुप रज्जू मार्ग संचालित करने वाली फर्मों से सम्पर्क किया गया फलस्वरुप दो फर्मों ने इस हेतु अपने प्रस्ताव दिये हैं जिन पर प्राधिकरण द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है

उक्त विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त उक्त प्रस्ताव के अनुरुप पर्यटन को बढावा देने तथा प्राधिकरण को एक नियमित आय के श्रोत्र की उपब्लधि को मध्यनजर रखते हुए सर्व-सम्मति से उक्त स्थलों पर केबिल कार की स्थापना करने हेतु प्राधिकरण को प्राप्त प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण कराने के उपरान्त योजना के निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया ।

अन्य विषय क्रमांक:४

<u>कैम्ब्रियन हाल स्कूल देहरादून के विघालय निर्माण हेतु ग्रीन बेल्ट भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी।</u>

बैठक में उक्त विषय पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त शासनादेशों के अनुरुप अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को सर्व-सम्मति से अधिकृत किया गया ।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

18.9.95	3/9/95
(के०एल०शर्मा)	(बी०एम०वोहरा)
उपाध्यक्ष,	आयुक्त/अध्यक्ष,
म०दे०वि०प्रा, देहरादून	म०दे०वि०प्रा, देहरादून